

अज्ञात कालागिरी ~~समाप्त~~ राजेश कुमार सिंह

दस्तावेज का कार्यकारी मय उपखण्डाधिकारी जय

दस्ता

क्रमांक - 123/2016

6-6-24

पत्रावली पेश हुई वकील वादी
उप। प्रतिपत्नी गण की तलबी हेतु सम्मन
तलबाना आप ही पेश करें। अन्यथा
तलबी कानूनी सम्मती जावे। वास्तव में पेश होने
सम्मन तलबाना आवश्यक रूप से पत्रावली
दिनांक 20-6-24 को पेश हो।



उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

20-6-24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी मय पक्षकारान
अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार
आवाज दिलवाई गई। वकील वादी मय पक्षकारान में से कोई हाजिर
अदालत नहीं आये है। अतः वकील वादी मय पक्षकारान की
अनुपस्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया
जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर
हो।

03.07.2024

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी मय पक्षकारान
अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार
आवाज दिलवाई गई। वकील वादी मय पक्षकारान में से कोई हाजिर
अदालत नहीं आये है। अतः वकील वादी मय पक्षकारान की
अनुपस्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया
जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर
हो।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

